भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1069
दिनांक 5 फरवरी, 2026

सोनीपत में सीजीडी नेटवर्क और पीएनजी अवसंरचना का विस्तार

1069. **श्री सतपाल ब्रह्मचारीः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्राकृतिक गैस आधारित उद्योगों की स्थापना में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क और पाइप से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) संबंधी अवसंरचना का विस्तार अभी भी अपर्याप्त है जिससे उद्योगों को कठिनाइयाँ हो रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2018 से उक्त निर्वाचन क्षेत्र में प्राकृतिक गैस आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने गैस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पैकेज या नीति प्रस्तावित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सोनीपत क्षेत्र के संबंध में सरकार की भावी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ) पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन देना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन स्थापित करना और पाइपलाइन अवसंरचना बिछाना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा हैं, जिसमें घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी और परिवहन क्षेत्र को सीएनजी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा उनके न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार किया जा रहा है।

सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र में 2 भौगोलिक क्षेत्र (जीए) अर्थात सोनीपत जीए और सोनीपत जिला (ईएएए) और जींद जिला जीए हैं। पीएनजीआरबी ने सोनीपत जीए के लिए गेल गैस लिमिटेड (जीजीएल) को प्राधिकृत किया है। एमडब्ल्यूपी के अनुसार, जीजीएल को 2014 तक जीए में 60,000 पीएनजी (डी) कनेक्शन प्रदान करने, 3 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने और 329 इंच-किमी पाइपलाइन बिछाने थे। दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, जीजीएल ने सोनीपत जीए में 48,270 पीएनजी (डी) कनेक्शन प्रदान किए हैं, 29 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं और 586 इंच-किमी पाइपलाइन बिछाई है।

सोनीपत जिला (ईएएए) और जींद जिला जीए के लिए पीएनजीआरबी द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को प्राधिकृत किया गया है। एमडब्ल्यूपी के अनुसार, एचपीसीएल को 2028 तक जीए में 98,000 पीएनजी (डी) कनेक्शन प्रदान करने, 38 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने और 1,183 इंच-किमी पाइपलाइन बिछाने थे। दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, एचपीसीएल ने सोनीपत जीए में 14,769 पीएनजी (डी) कनेक्शन प्रदान किए हैं, 47 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं और 1,232 इंच-किमी पाइपलाइन बिछाई है।

प्राधिकृत सीजीडी कंपनियां अपने-अपने जीए में मांग और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में ग्राहकों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी करती हैं। प्राधिकृत कंपनियों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपनी जीए के भीतर औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसंरचना बिछाया है। जीजीएल ने अपने जीए में 321 पीएनजी (औद्योगिक) कनेक्शन प्रदान किए हैं और एचपीसीएल ने 25 पीएनजी (औद्योगिक) कनेक्शन प्रदान किए हैं।

प्राकृतिक गैस पर आधारित औद्योगिक इकाइयां लगाना किसी भी व्यक्तिगत इकाई/उद्यमी का वाणिज्यिक फैसला होता है और सरकार ऐसी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्राप्त या मंजूर किए गए प्रस्तावों का आँकड़ा नहीं रखती है।

पूरे देश में (सोनीपत सहित) गैस-आधारित उद्योगों का विकास भारत के ऊर्जा भंडार में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। सरकार ने प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें,अन्य बातों के साथ-साथ,राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना, घरेलू गैस की कीमतों में सुधार जैसे कि उच्च दाब/उच्च ताप वाले क्षेत्रों, गहरे पानी और बहुत गहरे पानी और कोयला सीम से उत्पादित गैस के लिए अधिकतम कीमत के साथ विपणन और कीमत तय करने की स्वतंत्रता, कीमत में स्थिरता और आपूर्ति पूर्वानुमान को बढ़ाने के लिए, संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन की दिशा में स्थायी विकल्प (एसएटीएटी) पहल शामिल हैं।

इसके अलावा, पीएनजीआरबी ने एकीकृत टैरिफ को तर्कसंगत बनाया है, टैरिफ ज़ोन को तीन से घटाकर दो कर दिया है और दिनांक 01.01.2026 से ज़ोन-1 (300 किमी तक) के लिए 54 रुपये/ एमएमबीटीयू और ज़ोन-2 (300 किमी से आगे) के लिए 102.86 रुपये/ एमएमबीटीयू का परिवहन टैरिफ लागू करना अधिसूचित किया है, जो औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस के सामर्थ्य और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है।

*****